न्यायालय भूमि उपसमाहर्त्ता, खगड़िया।

जमाबंदी सुधार वाद 17/11-12

सुखदेव प्रसाद साह बनाम जगदेव साह

आदेश

23.2.15 प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी के पत्रांक 605 दिनांक 26.11.12 द्वारा अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है।

उभयपक्ष को नोटिस देकर वाद में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस को सुना। पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजात का भी अवलोकन किया, विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने भी उभयपक्ष को सुनकर, उनके द्वारा दाखिल कागजातों, रसीद, अंचल निरीक्षक एवं अंचलाधिकारी, गोगरी का जांच प्रतिवेदन एवं दाखिल-खारिज वाद सं. 52/86-87 के अवलोकनोपरान्त निम्नलिखित निष्कर्ष दिया है :-

Received for [illegible] 09/04/15

(1) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल रिविजन वाद सं. 786/1979 में पारित आदेश के आधार पर दा०खा० वाद सं. 52/86-87 में आदेश पारित कर विधवा के नाम से

जमाबंदी सं.1048 दर्ज किया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश में रमावदेव राय के दावा को समाप्त किया गया है एवं इस आदेश में इस वाद से संबंधित जमीन का कोई जिक्र नहीं है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश को आधार मानकर विपक्षी के नाम से जमाबंदी दर्ज होना वैध नहीं है।

(ii) आवेदक द्वारा खरीदे गये का केवाला जो क्रय व विक्रय से संबंधित के अवलोकन से भी स्वतः प्रमाणित होता है कि द्वितीय पक्ष के पिता लक्ष्मी राय, मोहन राय के दत्तक पुत्र हैं जैसा कि केवाला में वर्णित है, और वर्ष 1951 के दस्तावेज से भी स्पष्ट है कि लक्ष्मी राय को गोद लिया है।

(iii) जहाँ तक स्वत्व वाद सं. 28/1998 का सवाल है यह मामला स्वत्व से संबंधित है व विपक्षी के नाम से जमाबंदी सं.1048 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को आधार मानकर गलत ढंग से दर्ज कर दिया गया है जो अवैध है।

बिहार भूमि सुधार अपसमाहर्ता, गोड्डा ने - पार पृष्ठ पर वर्णित तथ्यों के आलोक में विपक्षी के नाम चल रही जमाबंदी सं. 1048 रद्द करने एवं आवेदक के पिता अनुपलाल राम के जमाबंदी सं. 394 से जो रकबा 14½ फुट खारिज होकर जमाबंदी संख्या 1048 पर गया है उस रकबा 14 फुट जमीन पुनः जमाबंदी सं. 394 पर लाकर जमाबंदी संख्या 394 को सुधार करने की अनुशंसा भेजी है।

उपरोक्त बिहार भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा का finding अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर सही प्रतीत होता है। परन्तु विवादी भूमि को लेकर उभयपक्ष के बीच स्वत्ववाद सं. 28/1998 चल रहा जो उभय पक्ष स्वीकार भी करते हैं। अतः न्याय की दृष्टि से स्वत्ववाद के निर्णय आने तक आवेदक को जमाबंदी में सुधार करवाने हेतु प्रतीक्षा करनी चाहिये।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

31/3/15

अपर समाहर्ता,
गोड्डा

अपर जिला दण्डाधिकारी, समाहरणालय, गोड्डा

ज्ञापांक - 119 / दिनांक - 31.3.2015 /
प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित /
प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित /
अपर समाहर्ता